न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 207/2016

निर्णय दिनांक :– 04.01.19

उनवानी :–

1. आचूकी पत्नि श्री सूरजमल जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–वादीया–

बनाम

1. बादाम पत्नि स्व. रामस्वरूप जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. सत्यनारायण पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. ग्यारसी पुत्री स्व. रामस्वरूप पत्नि रामगोपाल जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली हाल निवासी जान का कुआं, रजबन टोंक जिला टोंक राजस्थान
4. मंजू पुत्री स्व. रामस्वरूप पत्नि महेन्द्र जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
5. ममता पुत्री स्व. रामस्वरूप पत्नि नवल जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली हाल निवासी चार हाटडी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान
6. मैना पुत्री स्व. रामस्वरूप पत्नि राजकुमार जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली हाल निवासी डानिया की कोठडी तहसील कोठडी जिला भीलवाडा राजस्थान
7. मधु पुत्री स्व. रामस्वरूप जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादी–

उपस्थिति :–

श्री अजीत सिंह
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 ने आराजी खसरा नम्बर 1832 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वान्सी जो वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, को

खातेदार/विक्रेता जगदीश पुत्र किशना तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल तेली निवासी देवली से जरिए रजिस्ट्रड विक्रय पत्र 23.05.1981 को खरीदकर दिनांक 29.05.1981 को पुस्तक संख्या 1, जिलद संख्या 27, पेज नम्बर 129–130 क्रमांक 233 पर उपपंजीयक अधिकारी देवली के यहां पंजीकृत करवाया है। उक्त वर्णित भूमि में वादिया का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का है। वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा खरीद की गई उक्त वर्णित भूमि पर क्रय के समय से ही वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काबिज रही है और काश्त करती चली आ रही है। उक्त वर्णित क्रयशुदा भूमि के हाल खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 4464 रकबा 0.46 है0 ग्राम देवलीगांव में स्थित है। वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त वर्णित भूमि विक्रेता जगदीश पुत्र किशना तेली द्वारा बेचान कर विक्रय पत्र लिखते समय विक्रेता जगदीश पुत्र किशना तेली निवासी देवली के नाम के साथ–साथ प्रतिवादी नम्बर 2 के पति रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली का नाम द्वारा लिखकर विक्रय पत्र वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में उक्त वर्णित भूमि का पंजीयन करवाया है, जबकि उक्त वर्णित भूमि में रामस्वरूप का कोई हक व हिस्सा नही था और ना ही स्व. रामस्वरूप उक्त भूमि का खातेदार था और नही विक्रेता जगदीश की ओर से उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु अधिकृत या पावर ऑफ अटोर्नी हॉल्डर नही था। राजस्व कर्मचारियों ने उक्त वर्णित विक्रय पत्र के आधार पर ही उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में खोलते समय नामान्तकरण संख्या 1052 में भी विक्रेता जगदीश के साथ द्वारा लगाकर रामस्वरूप का नाम अंकित किया गया है। जिसका वर्णन नामान्तकरण रजिस्टर जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में है। बाद में वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य उक्त वर्णित संयुक्त भूमि हाल खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 1464 रकबा 0.46 है0 का बराबर–बराबर बंटवारा हो गया, परन्तु आज भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के कॉलम में वादिया नाम अंकित कर द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल तेली निवासी देवली दर्ज कर रखा है। जिससे वादिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। कई बार वादिया ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 8 को कई प्रार्थना पत्र दिए है। लेकिन कोई कार्यवाही नही की है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम के आगे द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल तेली निवासी तेली मोहल्ला देवली का नाम डिलीट किया जाकर वादिया को सम्पूर्ण 0.46 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल तेली का नाम डिलीट किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 7 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार वाद के सभी चरणो को स्वीकार करते हुए बताया है कि वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष वादीया को दिया जाता है तो

इसमें प्रतिवादीगण नं. 1 ता 7 को कोई आपति नहीं होगी। तथा प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से भी जवाब पेश किया गया जिसमें वाद पत्र के बिन्दुओ को स्वीकार करते हुए बताया कि विकय पत्र मे केता के साथ द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरी लाल तेली निवासी देवली अंकित है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करते समय विकय पत्र के आधार प9र ही केता के नाम के साथ द्वारा रामस्वरू‍ पुत्र कंवरी लाल अंकित करते हुए नामान्तरकरण्ध स्वीकृत कर दिया गया जिसका राजसव रिकॉर्ड में किसी भी हैंसियत से कोई अस्तित्व नहीं है तथा वादीया व प्रतिवादीगण सहमत है। अधियाचना राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज की हद तक स्वीकार है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 व 2 पेश किये। अधिवक्ता वादी ने वादिया की उपस्थिति में प्रदर्श डलवाये और प्रकरण बहस में नियत किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के मुख्य बिन्दुओ को दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार व अन्य प्रतिवादीगण ने भी वाद के तथ्यो को स्वीकार किया है। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के कॉलम में मेरे नाम अंकित कर द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल दर्ज कर रखा है जिससे मुझे काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 ने भी बताया कि वादिया आचूकी की भूमि में रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल तेली मोहल्ला देवली का कोई लेना देना नहीं है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गलती से दर्ज हो गया है जो कि गलत है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रदर्श–2 जमाबन्दी संम्वत 2070–73 में खातेदार के नाम में आचूकी धर्म पत्नी सूरजमल कौम तेली द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल कोम तैली दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल संम्वत 2046–2065, प्रदर्श–4 जमाबंदी (खतौनी) सम्वत 2036–39 ग्राम देवलीगांव में नामांन्तरकण 1052 में भी श्रीमती आचूकी धर्मपत्नी सूरजमल तैली द्वारा रामस्वरूप तेली के नाम दर्ज करने की मंजूरी अंकित है। प्रदर्श–5 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम देवलीगांव में भी श्रीमती बदाम देवी पत्नी रामस्वरूप व श्रीमती आचुकी धर्मपत्नी सूरज मल कौम तैली द्वारा रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल कौम तैली सा. देवली टाउन अंकित है। प्रदर्श–6 पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 29.05.81 के बिन्दु संख्या 11, 12, 13, 14 में उक्त आराजी कयता श्री मती बदाम देवी पत्नी श्री रामस्वरूप जी व श्रीमती आचूकी धर्मपत्नी सूरजमलजी कौम तैली निवासी देवली टाउन द्वारा श्री रामस्वरूप जी पुत्र कंवरीलाल जी कौम तैली निवासी देवली अंकित है। पजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 29.08.81 के अनुसार आराजी ख. नं. 1832 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा ग्राम देवलीगांव के दो ही केता श्रीमती बदाम देवी पत्नी रामस्वरूप व श्रीमती आचूकी देवी पत्नी श्री सूरज मल कौम तैली है तथा श्री रामस्वरूप पुत्र कंवरीलाल का नाम विकय पत्र में केता की हैसियत से दर्ज नही हैं। सभी दस्तावेजात के अवलोकन से

यह प्रतीत होता है कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र में लिखा हुआ **"द्वारा श्री रामस्वरूप जी पुत्र कंवरीलाल जी कौम तैली"** अंकित होने के कारण प्रदर्श–4 जमाबंदी (खतौनी) सम्वत 2036–39 ग्राम देवलीगांव में राजस्व कर्मचारीयों से **"द्वारा श्री रामस्वरूप जी पुत्र कंवरीलाल जी कौम तैली"** अंकित होने से उतरोतर जमाबंदीयो में भी यही अंकित होता आया है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2070–73 हाल खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 4464 रकबा 0.46 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव में **"द्वारा श्री रामस्वरूप जी पुत्र कंवरीलाल जी कौम तैली"** की प्रविष्टि को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.01.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली